INDIA भारत INDIA INDIA भारत INDIA
FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(125)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल केम्प इन्दौर (मध्य प्रदेश)
PBR/निगरानी/धार/भू. रा/2018/2498

विष्णु पिता शंकरलाल जाति कुलमी पाटीदार

आयु 65 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम

तोरनोद तहसील व जिला धार .... रिविजनकर्ता

बनाम

राजेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह बुन्देला जाति राजपुत

आयु 55 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम नौगांव

तहसील व जिला धार .... विपक्षी

आवेदक अभिभाषक श्री विक्रान्त होलकर द्वारा दिनांक 17-4-18 को इन्दौर कैम्प मे प्रस्तुत। 17-4-18

विक्रान्त होलकर एड.

रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता अनुसार

माननीय महोदय,

प्रकरण मे प्रार्थी/ रिविजनकर्ता की और से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्रार्थी की मालकी स्वत्व आधिपत्य की भूमि ग्राम सुनारखेडी तहसील धार मे सर्वे नबंर 195 पे की रकबा 2.011 हेक्टर की स्थित होकर यह भूमि विपक्षी राजेन्द्रसिंह से वर्ष 2002 मे रजिस्टर्ड विनिमय पत्र से प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जाकर प्रार्थी काबिज होकर तब से ही रेवेन्यु पेपरो मे प्रार्थी का नाम होकर प्रार्थी ही दाविया भूमि को हाकता जोतता व फसल बोता लेता चला आ रहा है। इस भूमि के विनिमय मे प्रार्थी द्वारा ग्राम नोगांव स्थित भूमि सर्वे नबंर 390/1 पेकी रकबा 1.513 हेक्टर उपजाउ सिंचित भूमि विपक्षी राजेन्द्र को दी होकर उसका भी रजिस्टर्ड विनिमय पत्र करवाया गया इस प्रकार परस्पर रजिस्टर्ड विनिमय के आधार पर दोनो पक्षो द्वारा सहुलियत के अनुसार एक दुसरे से अपनी भूमि अदला बदली करी व काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। अब अचानक 16 वर्ष बाद विपक्षी के मन मे बदयान्ती आ जाने से विपक्षी द्वारा इन सब तथ्यो को छुपाकर रिविजनकर्ता प्रार्थी के नामान्तरण के विरूद्ध एक अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी तथा उसके साथ एक आवेदन पत्र धारा 5 मियाद विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा अपने

(मध्य प्रदेश)

2

/2/

न्यायालय के अपील प्र क 83/अपींल/15–16 मे दिनांक 16–3–18 को आदेश पारित किया आदेश पारित करते हुए प्रार्थी का धारा 5 का आवेदन पत्र बगैर किसी जांच व बगैर किसी साक्ष्य के स्वीकार कर लिया इसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 26–3–18 को मिली जिस पर से प्रार्थी द्वारा दिनांक 27–3–18 को आदेश की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थी को दिनांक 3–4–18 को प्रापत हुई प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अन्दर मियाद यह रिविज़न अर्ज निम्न आधारो पर प्रस्तुत है ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/2018/2498**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से श्री विक्रांत होल्कर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** सं.1318 (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	